निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 8/2018
दायरा दिनांकः–26.02.2018
निर्णय दिनांकः– 16.4.25

उनवान

1. भैरूलाल आयु 72 वर्ष आत्मज पांचुलाल व्यवसाय कृषि जाति बैरवा निवासी छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः–16-4-25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री चिरोंजीलाल भार्गव प्रार्थी

अभिभाषक वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा,136 एल0आर0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी जाति से बैरवा तदानुसार प्रार्थी (SC) अनुसूचित जाति का व्यक्ति है। प्रार्थी के स्वामित्व कब्जे एंव मालिकाना अधिकार मे वाके माल छबड़ा मे खाता संख्या 220 खसरा नम्बर 91 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा खाता संख्या 481 खसरा नम्बर 1325 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा एंव खाता संख्या 417 खसरा नम्बर 1323 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड है। जिनमे जमाबंदी संख्या 220 417, एंव 471 मे प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज नाम एंव जाति भैरूलाल आत्मज पाच्या जाति कबाड़ी साकिन छबडा दर्ज है। प्रार्थी के पूर्वज टोक स्टेट (छबडा) के समय पर बेल पर घास के लड़े रखकर बेचते थे। जिसे कबाड़ शब्द से संबोधित किया जाता था तब ही से प्रार्थी के पूर्वज एंव सव्यवसाय करने वाले व्यक्तियो को कबाड़ी शब्द से संबोधित किया जाता रहा तथा राजस्व रिकार्ड में भी कबाड़ी शब्द जाति के स्थान पर किया गया। जबकि कबाडी नामक कोई जाति नहीं है। जबकि प्रार्थी प्रार्थी के पूर्वज तथा प्रार्थी के सहजातीय व्यक्ति चर्मकार होने से बैरवा जाति के है। उपरोक्त कृषि आराजीयात के अलावा प्रार्थी की खातेदारी मे तथा प्रार्थी के परिजनो की खातेदारी मे तथा प्रार्थी के सहजातीय व्यक्तियो के राजस्व रिकार्ड मे पूर्व में कबाडी शब्द जाति के स्थान पर दर्ज था जिसे राज्य सरकार जारी आदेश के अनुसार समाप्त कर कबाडी के स्थान पर बैरवा जाति दर्ज किया गया। प्रार्थी भैरूलाल की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

मे वाके माल छबड़ा में भूमि खरारा नम्बर 90 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा हिस्सा 1/2 भूमि में भी जाति के स्थान पर कवाडी शब्द था। जिसे इन्तकाल नम्बर 1300/—दिनांक 12/09/2003 के अनुसार कबाड़ी के स्थान पर बैरवा शब्द दर्ज किया गया। जिसका उल्लेख जमाबंदी संख्या 350 सम्वंत 2058 से 2062 मे दर्ज जिसका नामान्तरण संख्या 350 छवडा मे उक्त नम्बर के साथ ही खसरा नम्बर 3 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा मे दर्ज कबाड़ी के स्थान पर बैरवा जाति श्रीमान एस.डी. एम. साहब छबड़ा/एल.आर. के आदेश दिनांक 12/09/2003 के अनुसार दर्ज किया गया। जमाबंदी एव नामान्तरण की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इसी प्रकार ग्राम रीछड़ा के माल मे स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 299 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा पर भी प्रार्थी की जाति कबाडी दर्ज थी जिसे भी श्रीमान एस.डी.एम. साहब छबडा एव श्रीमान तहसीलदार महोदय के अनुसार कबाड़ी के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज किया गया। संबंधित अधिकारी एव कर्मचारियो के द्वारा उपेक्षा पूर्ण कार्य कर खाता संख्या 220 481, एंव 417 ग्राम छवड़ा मे राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश की पालना नहीं कर यथावत छोड दिया। तथा जाति के स्थान पर कवाडी ही रहने दिया गया जो आज तक यथावत है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने का अधिकारी है। प्रार्थी के पूर्वज तथा परिजन एवं समस्त रिश्तेदार बैरवा जाति के है। चर्मकार लोग है। तथा अनुसूचित जाति के है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी की जाति प्रमाण पत्र दिनांक 09/11/1994 कमाक/रीडर / 1994 / 1358 एंव जातिय प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति कमांक 10884 दिनांक 26/10/2014 कार्यालय तहसीलदार महोदय छवड़ा जिला बारां की छाया प्रति श्रीमान की सेवा मे पेश है। उपरोक्त जमाबंदी में प्रार्थी की जाति कबाड़ी दर्ज होने से प्रार्थी को राज्य सरकार के द्वारा दी जानी वाली सहायता राशि बैंक आदि से प्राप्त होने वाले अनुदान तथा अन्य हितो से वंचित होना पड़ रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2070—73 खाता संख्या 220 नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2070—73 खाता 481 नकल जमावन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2070—73 खाता 417 नकल नामान्तरण संख्या 1350 नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2058—51 खाता संख्या 350 नकल जमाबन्दी ग्राम रीछडा सम्वत् 2064—67 खाता संख्या 83 नकल जमाबन्दी ग्राम छवडा सम्वत् 2070—73 खाता संख्या 423 नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2070—73 खाता संख्या 219 फोटो प्रति राशन कार्ड फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति जन आधार कार्ड फोटो प्रति जाति प्रमाण पत्र दिनांक 9.11.1994 फोटो प्रति जाति प्रमाण पत्र दिनांक 26.10.2014 नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2074—77 खाता संख्या 501 नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम रीछडा सम्वत् 2012—31 नकल आर्डर शीट न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 1 वून्दी केम्प के पाटन नकल निर्णय दिनांक 06.11.2023 न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या 1 बुन्दी केम्प केशवरायपाटन उनवान चुन्नीलाल उर्फ सी.एल प्रेमी बनाम राज सरकार नकल बैठक कार्यवाही विवरण कार्यालय जिला कलक्टर बून्दी दिनांक 06.05.2024 पेश की गई।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम छबडा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है प्रार्थी के पूर्वज टोंक स्टेट के समय पर बेल पर घास के लठे रखकर बेचने का काम करतें थें। जिसे कबाद शब्द से सम्बोधित करतें थें। प्रार्थी के पूर्वज एवं सव्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को कबाडी कहतें थे तथा राजस्व रिकार्ड में भी जाति कबाडी दर्ज कर दी थी जबकि कबाडी कोई जाति नही है प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वज चर्मकार होने से बैरवा जाति के थें प्रार्थी के खातेदारी में एवं अन्य व्यक्तियों के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में पूर्व में कवाडी शब्द जाति के स्थान पर दर्ज था जिसे राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार समाप्त कर कबाडी के स्थान पर बैरवा जाति दर्ज की गई। प्रार्थी के खातेदारी की आराजी वाके ग्राम छबडा में जाति कबाडी दर्ज था जिसे नामान्तरण संख्या 1300 दिनांक 12.09.2003 से कबाडी के स्थान पर बैरवा दर्ज किया गया। जिसका उल्लेख जमाबन्दी संख्या 350 में दर्ज नामान्तरण संख्या 1350 छवडा में किया गया। खसरा नम्बर 3 रकबा 11.19 बीघा में कबाडी के स्थान पर बैरवा जाति श्रीमान एस.डी.एम छबडा एल.आर. के आदेश दिनांक 12.09.2003 के अनुसार दर्ज किया गया। इसी प्रकार खसरा नम्बर 299 रकबा 8.18 बीघा पर भी प्रार्थी की जाति कबाडी दर्ज थी जिसे श्रीमान एस.डी.एम. छबडा एवं तहसीलदार छबडा के अनुसार कबाडी के स्थान पर जाति बैरवा दर्ज किया गया। खाता संख्या 220, 481 एवं 417 ग्राम छबडा में राज्य सरकार के जारी आदेश की पालना नही कर यथावत छोड दिया गया तथा प्रार्थी की जाति कबाडी रहने दी जिसे प्रार्थी दुरूस्त कराने का अधिकारी है प्रार्थी के पूर्वज व रिश्तेदार बैरवा जाति कै है यह चर्मकार लोग है अनुसूचित जाति के है। प्रार्थी द्वारा जाति के सम्बन्ध में दिनांक 09.11.1994 एवं दिनांक 26.10.2014 का जाति प्रमाण पत्र पेश किया है जिसमें प्रार्थी की जाति बैरवा है। प्रार्थी की कुछ राजस्व रिकार्ड में जाति बैरवा दर्ज कर दी गई। तथा कुछ राजस्व रिकार्ड में आज भी कबाडी दर्ज है जिसे दुरूस्त कराने का प्रार्थी अधिकारी है प्रार्थी की जाति गलत होने के कारण राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता प्रार्थी को नही मिल पा रही है प्रार्थी को आर्थिक नुकसान उठाना पड रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी के नाम कस्बा छबडा में भूमि खसरा नम्बर 91 रकबा 1.3785 है0 खसरा नम्बर 1323 रकबा 0.4300 है0 खसरा नम्बर 1325 रकबा 0.3162 है0 में प्रार्थी की जाति कबाडी दर्ज है। एवं वर्तमान में भी प्रार्थी की जाति कबाडी ही दर्ज है प्रार्थी की जाति के सम्बन्ध में राजस्व रिकार्ड सेटलमेन्ट जमाबन्दी से लेकर वर्तमान जमाबन्दी में भी प्रार्थी की जाति कबाडी लगातार दर्ज चली आ रही है

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल खतोनी बन्दोबस्त ग्राम छबडा सम्वत् 2012–31 खाता संख्या 5 के खसरा नम्बर 299 रकबा 8.18 बीघा पांच्या वल्द मांग्या जाति चमार कबाडी सा0देह छबडा के नाम दर्ज थी नकल जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2070–73 खसरा नम्बर 91 रकबा 8.09 बीघा खसरा नम्बर 1325 रकबा 1.05 बीघा खसरा नम्बर 1323 रकबा 1.14 बीघा खसरा नम्बर 90 रकबा 12.10 बीघा भैरूलाल पुत्र पांच्या जाति कबाडी सा0देह इर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2064–67 खाता संख्या 83 के खसरा नम्बर 299 रकबा 8.18 बीघा में भैरूलाल पुत्र पांच्या जाति बैरवा दर्ज है जाति प्रमाण रीडर/94/1358 दिनांक 09.11.1994 से तहसीलदार छबडा द्वारा एवं जाति प्रमाण दिनांक 26.10.2014 से भैरूलाल की जाति बैरवा का प्रमाण पत्र जारी किया गया है नकल जमाबन्दी ग्राम कस्बा छबडा सम्वत् 2058–61 खाता संख्या 350 के खसरा नम्बर 90 रकबा 12.10 बीघा गणेशलाल,चुन्नीलाल, पुत्र पांच्या हिस्सा 1/2 भैरूलाल पुत्र पांच्या हिस्सा 1/2 जाति कबाडी सा0देह दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 13 से 17 में नामान्तरण संख्या 1300 दिनांक 12.09.2003 से गणेशलाल, चुन्नीलाल, भैरूलाल, पुत्र पांच्या की जाति कबाडी के स्थान पर बैरवा दर्ज करने का आदेश हुआ है नोट अंकित है नकल जमाबन्दी ग्राम छबडा सम्वत् 2070–73 में प्रार्थी की जाति बैरवा दर्ज है प्रार्थी भैरूलाल के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा दिनांक 12.03.2003 को जाति दुरुस्त करने के आदेश दिये गये तत्कालीन तहसीलदार द्वारा शुद्धि पत्र का नामान्तरण संख्या 1300 दिनांक 12.09.2003 को खोला गया।

यह प्रार्थना पत्र मूलतः जाति कबाडी के स्थान पर बैरवा दर्ज करने का है यह उल्लेखनीय है कि अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट एक संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जा सकता है जिसमें अशोभनीय नामों में सुधार किया जाना अनुमत किया गया है परन्तु जाति बदलने/परिर्वतन करना धारा 136 एल0आर0एक्ट के अन्तर्गत नही आता है। इसलिए प्रार्थी का कबाडी के स्थान पर बैरवा जाति दर्ज करने का अनुतोष अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत अनज्ञेय नही होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा